

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज <u>न्यायालय अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, नाथद्वारा</u> प्रकरण संख्या <u>66/2021</u> रे0फो0 राजस्थान राज्य बनाम अर्जुनलाल (1/1)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की
	दिनांक : 18.03.2026 सहायक अभियोजन अधिकारी उपस्थित। अभियुक्त अर्जुनलाल मय अधिवक्ता श्री योगेश पाराशर उपस्थित। पत्रावली साक्ष्य अभियोजन के स्तर पर है। साक्ष्य अभियोजन में गवाह कैलाशचन्द व नंदलाल का जमानती वारंट बाद तामील प्राप्त हुए। गवाह भंवरदान का जमानती वारंट अदम तामील प्राप्त हुआ। साक्ष्य अभियोजन में कोई गवाह उपस्थित नहीं। प्रकरण इस न्यायालय का टारगेट प्रकरण माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर टारगेट प्रकरण होकर शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए गए हैं। साक्ष्य अभियोजन में गवाह संख्या 02 नंदलाल व कैलाशचन्द को जरिये गिरफ्तारी वारंट व गवाह भंवरदान को जरिये जमानती वारंट तलब किया जावें। गवाहान को जारी तामील पर प्रकरण पुराना होने व टारगेट केस होने से आवश्यक रूप से तामील करवाए जाने का लालस्याही से नोट अंकित किया जावें। तामील की एक प्रति एसपी राजसमंद को प्रेषित की जावें। गवाह की उपस्थिति के संबंध में एपीओ को नोटेड करवाया जावें। पत्रावली साक्ष्य अभियोजन दिनांक 25.03.2026 को पेश हो।	